



स्वच्छ सर्वेक्षण 2023

प्रलिस के लयः

SBM-U का दूसरा चरण ।

मेन्स के लयः

स्वच्छ भारत मशऱन, सरकारी नीतयऱँ और हसुतकषेप ।

चरुा में क्यऱँ?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने [स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0](#) के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) 2023 का आठवाँ संस्करण लऱँच कयऱा है ।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को अपशषऱत प्रबंधन में चहुँमुखी दशऱ में उपलब्धयऱँ प्राप्त करने के लयऱ तैयार कयऱा गया है । इस सर्वेक्षण में 3Rs (रडऱयूस, रसऱइकल एंड रीयूज) के सदऱधांत को प्राथमकऱता दी जाएगी, अरुथात् कचरा कम करें, पुनरुचकरण करें और पुनः उपयोग करें ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023:

- स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की सुथतऱ में सुधार के लयऱ शहरऱँ और बड़े पैमाने पर नागरकऱ भागीदारी को प्रोत्साहऱत करने के लयऱ एक प्रतसऱपरदधी ढाँचे के रूप में MoHUA द्वारा प्रारंभ कयऱा गया था ।
 - इन वर्षऱँ में स्वच्छ सर्वेक्षण दुनयऱा में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरे का स्रोत पर पृथककरण, अधकऱ अपशषऱत उत्पन्न करने वाले शहरऱँ की अपशषऱत प्रसंसकरण कषमता में वृद्धऱ और डंपसाइट पर जाने वाले कचरे को कम करने पर अधकऱ धयऱान दयऱा गया है ।
 - प्लासुटकऱ को चरणबद्ध तरीके से कम करने, प्लासुटकऱ कचरे के प्रसंसकरण, वेसुट टू वंडर पार्कों को प्रोत्साहऱत करने और शून्य अपशषऱत घटनाओं पर जऱोर देने हेतु अतरऱकऱत भारांक के साथ संकेतक पेश कयऱे गए हैं ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरऱँ के भीतर वारुडऱँ की रैकगऱ को भी बढ़ावा दयऱा जा रहा है ।
- शहरऱँ में 'खुले सुथान पर मूतर' (पीले धबबे) और 'खुले सुथान पर थूक' (लाल धबबे) से संबधऱत मानकों पर भी शहरऱँ का मूल्यांकन कयऱा जाएगा ।
- MoHUA आवासीय और वयऱावसायकऱ कषेत्रऱँ में 'बैक लेन' की सफाई को बढ़ावा देगा ।

स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0:

- परचयः
 - केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषऱत स्वच्छ भारत मशऱन शहरी 2.0, स्वच्छ भारत मशऱन शहरी के प्रथम चरण की एक नरऱतर शरुंखला है ।
 - सरकार शऱँचालयऱँ के माध्यम से सुरकषऱत प्रवाह, मल कीचड़ के नपऱटान और सेपुटेज का उपयोग करने का भी प्रयऱास कर रही है ।
 - शहरी भारत को [खुले में शऱँच से मुक्त \(ODF\)](#) बनाने और नगरपालकऱा के ठऱस कचरे का 100% वैजुजानकऱ प्रबंधन सुनशऱचऱत करने के उद्देशु से 2 अकतूबर, 2014 को SBM-U का पहला चरण शुरु कयऱा गया था जो अकतूबर 2019 तक चला ।
 - इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परवऱयय के साथ वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक पाँच वर्षऱँ में लागू कयऱा गया है ।
 - इस मशऱन को "अपशषऱत से धन" (Waste to Wealth) और "[चकरीय अरुथवयवसुथा](#)" के वयऱापक सदऱधांतऱँ के तहत कारुयानवतऱ कयऱा जा रहा है ।
- उद्देशुयः
 - यह कचरे का स्रोत पर पृथककरण, एकल-उपयोग वाले प्लासुटकऱ और वायु प्रदूषण में कमी, नरऱमाण एवं वधऱवंस गतवऱधऱयऱँ से उत्पन्न कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन तथा सभी पुराने डंपसाइट के [बायऱरेमेडऱरऱशन](#) पर केंदरऱतऱ है ।
 - इस मशऱन के तहत सभी अपशषऱत जल को जल नकऱयऱँ में छोड़ने से पहले ठीक से उपचारऱत कयऱा जाएगा और सरकार इसके अधकऱतम उपयोग को प्राथमकऱता देने का प्रयऱास कर रही है ।
- मशऱन के संभावऱत परणऱामः

- इससे सभी वैधानिक शहर (पानी, रखरखाव और स्वच्छता के साथ शौचालयों पर केंद्रित) ODF+ प्रमाणित हो जाएंगे।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर (कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के साथ शौचालयों पर केंद्रित) ODF++ प्रमाणित हो जाएंगे।
- 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों का 50% जल + प्रमाणित हो जाएगा (जसिका उद्देश्य पानी के उपचार और पुनः उपयोग करके शौचालयों को बनाए रखना है)।
- कचरा मुक्त शहरों के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, सभी वैधानिक कस्बों को कम-से-कम **कचरा मुक्त 3-स्टार दर्जा** दिया जाएगा।
- सभी पुराने डंपसाइट्स का बायोरेमेडिएशन(जैव उपचार)।

स्रोत: पी.आई.बी.

डजिटल इंडिया भाषिनी

प्रलिमिंस के लिये:

डजिटल इंडिया भाषिनी, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, MSME, ग्राम पंचायत, ऑप्टिकल फाइबर।

मेन्स के लिये:

भारत का डजिटल इंडिया वज़िन, प्रौद्योगिकी मशिन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, डजिटल सरकार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने **डजिटल इंडिया भाषिनी-भारत के लिये भाषा इंटरफेस (BHASHINI- BHASHa INterface for India)** हेतु रणनीति को आकार देने के उद्देश्य से शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के साथ एक विचार-मंथन सत्र आयोजित किया।

- सरकार का उद्देश्य स्टार्टअप के नवाचार, विकास और प्रौद्योगिकी की खपत को एकीकृत करना है।

डजिटल इंडिया भाषिनी:

परिचय:

- डजिटल इंडिया भाषिनी भारत का **आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
- एक भाषिनी प्लेटफॉर्म आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)** संसाधनों को **MSME (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम)**, स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।
- भाषिनी प्लेटफॉर्म **राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मशिन** का हिस्सा है।
 - इस मशिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैसे-जैसे और अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े, वे अपनी भाषाओं में वैश्विक सामग्री का उपयोग करने में सक्षम हों।

महत्त्व:

- **डजिटल समावेश:**
 - यह भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में देश की डजिटल पहल से जोड़कर सशक्त करेगा जिससे डजिटल समावेशन की ओर अग्रसर हो सकें।
 - यह **स्टार्टअप की भागीदारी** को भी प्रोत्साहित करेगा।
- **डजिटल सरकार:**
 - **मशिन केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और स्टार्टअप के पारस्थितिकी तंत्र** की स्थापना व पोषण करेगा, साथ ही भारतीय भाषाओं में नवीन उत्पादों तथा सेवाओं को विकसित एवं स्थापित करने के लिये सहयोग करेगा।
 - **डजिटल सरकार** के लक्ष्य को साकार करने के लिये यह एक बड़ा कदम है।
- **भारतीय भाषाओं में विषय-वस्तु का वसितार:**
 - इसका उद्देश्य जनहित, विशेष रूप से शासन और नीति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदिके क्षेत्रों में इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में विषय-वस्तु को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है ताकि **नागरिकों को अपनी भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित** किया जा सके।

डजिटल इंडिया वज़िन के लिये भारत की पहल:

- **डजिटल इंडिया कार्यक्रम:**
 - **डजिटल इंडिया** का उद्देश्य विकास के नौ स्तंभों जैसे- ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई-क्रांति: सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक वनरिमाण, नौकरियों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, अरली हार्वेस्ट कार्यक्रम पर बल देता है।
- **डजिटल उद्यमिता:**
 - पूरे भारत में 3.7 लाख **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** की स्थापना ने ग्रामीण क्षेत्रों में डजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है और आम आदमी के लिये डजिटल सेवाओं तक बेहतर पहुँच बनाई है।
- **डजिटल सेवाएँ:**
 - ई-अस्पताल, **भीम-UPI**, ऑनलाइन छात्रवृत्ति, **डजिलॉकर**, उमंग एप, **ई-कोर्ट**, टेली लॉ, **ई-वे बलि** आदि जैसी डजिटल सेवाओं के परिणामस्वरूप नागरिकों के लिये जीवनयापन की सुगमता में सुधार हुआ है।
- **आधार (UID-Aadhaar):**
 - भारत 129 करोड़ **आधार** धारकों के साथ दुनिया में एक अद्वितीय डजिटल पहचान के मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।
- **इंडिया स्टैक:**
 - **इंडिया स्टैक** 'प्लेटफॉर्म' और 'एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (APIs) का एक समूह है, जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप तथा डेवलपर्स को एक अद्वितीय डजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि भारतीय समस्याओं को भौतिक उपस्थिति रहित, कागज़ रहित और कैशलेस सेवा वितरण के माध्यम से हल किया जा सके।
- **राष्ट्रीय डजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR):**
 - सरकार ने डजिटल प्राथमिकता के संदर्भ में एक राष्ट्रीय डजिटल शैक्षिक वास्तुकला की स्थापना की घोषणा कर शिक्षा के लिये देश के डजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने पर अधिक जोर दिया है, जहाँ डजिटल वास्तुकला न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का समर्थन करेगी बल्कि यह केंद्र एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की शैक्षिक योजनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करेगी।
- **राष्ट्रीय डजिटल स्वास्थ्य मशिन (NDHM):**
 - इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे का समर्थन करने के लिये आवश्यक आधारभूत ढाँचे का विकास करना है।
- **डजिटल इंडिया भाषिणी:**
 - यह भारत का आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित भाषा अनुवाद मंच है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में सामग्री को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है।

यू.पी.एससी. सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'डजिटल इंडिया' योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
2. एक नीतित ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- डजिटल इंडिया को 7 अगस्त, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसे विभिन्न मंत्रालयों और सरकारों के सभी स्तरों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology- MeitY) द्वारा किया जा रहे समग्र समन्वय के साथ लागू किया जाना है।
- **प्रत्येक नागरिक के लिये डजिटल अवसरचना एक मुख्य उपयोगिता के रूप में:** नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति के लिये एक मुख्य उपयोगिता के रूप में उच्च गति युक्त इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। **अतः कथन 3 सही है।**
- इसमें विदेशी बहुराष्ट्रीय नगियों को प्रोत्साहित करने के लिये स्वयं की इंटरनेट कंपनियों और नीतित ढाँचे की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है जो हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना कर वृहत् मात्रा में आँकड़े एकत्र कर सकें। **अतः कथन 1 और 2 सही नहीं हैं।**

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या नष्टकिय नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
- UIDAI को भारत के सभी नविसयों को एक 12-अंकीय वशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयों की पहचान को सुरक्षित और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जससे सेवा वतिरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशिरति या वषिम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नष्टकिय किया जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नष्टकिय किया जा सकता है। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**

स्रोत: पी.आई.बी.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रलिमिस के लिये:

सामाजिक-आर्थिक जातजिनगणना (SECC) 2011, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टल, आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY)।

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य, मानव संसाधन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ।

चर्चा में क्यों?

[नई दलिली नगर परषिद \(NDMC\)](#) ने अपने क्षेत्र के नविसयों के लिये केंद्र की प्रमुख [आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(ABPMJAY\)](#) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

- **ABPMJAY** भारत सरकार की प्रमुख योजना है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सफिरशि द्वारा शुरू की गई थी। इसके दो अंतर-संबंधित घटक हैं - स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)।

ABPMJAY के बारे में:

- **परचिय:**
 - PMJAY **वशि्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना** है जो पूर्णतः सरकार द्वारा वतितपोषति है।
 - **इसे फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था**। यह द्वलितिक देखभाल (जसमें वशिषज्ज शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जसमें वशिषज्ज शामिल है) के लिये **प्रतपरिवार 5 लाख रुपए** की बीमा राशप्रदान करती है।
 - PMJAY के तहत लाभार्थयों को सेवा हेतु यानी अस्पताल में कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है।
 - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और नदिन शामिल हैं।

- पैकेज्ड दरें (इसमें सभी शुल्क शामिल हैं ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिये अलग से शुल्क न लिया जाए)।
- ये लचीले हैं लेकिन एक बार तय होने के बाद अस्पताल लाभार्थी से अधिक शुल्क नहीं ले सकते हैं।

■ लाभार्थी:

- यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना** डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
- एक बार डेटाबेस द्वारा पहचाने जाने के बाद लाभार्थी को बीमाकृत माना जाता है और वह किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार कर सकता है।

■ वित्तीयन:

- इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मामले में केंद्र और वधायिका के बीच 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के लिये 90:10 एवं वधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।

■ नोडल एजेंसी:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से PMJAY के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।
- राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) राज्य में ABPMJAY के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

PMJAY के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

■ राज्यों का सहयोग:

- चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का वषिय है और राज्यों द्वारा इस योजना के वित्तपोषण में 40% का योगदान दिया जाएगा, इसलिये मौजूदा 'राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं' का 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के साथ समन्वय स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने इस योजना को लागू नहीं किया है।

■ लागत का बोझ:

- देखभाल प्रदाताओं और केंद्र के बीच लागत एक विवादित मुद्दा है तथा कई अस्पताल सरकार के प्रस्तावों को अव्यावहारिक मानते हैं।

■ अपर्याप्त स्वास्थ्य क्षमताएँ:

- सार्वजनिक क्षेत्र की खराब स्वास्थ्य क्षमताओं में सुधार के लिये नजि क्षेत्त्र के प्रदाताओं के साथ आवश्यक भागीदारी और गठबंधन की आवश्यकता है।
- ऐसी परिस्थितियों में सेवाओं का प्रावधान तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब प्रदाताओं को उनकी सेवाओं के लिये जवाबदेह ठहराया जाए।

■ अनावश्यक उपचार:

- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' में माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों से शुल्क के बदले स्वास्थ्य सेवाओं की "रगनीतिक खरीद" का प्रस्ताव शामिल है।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंध जो कि वित्तीय मुआवज़ा पैकेज प्राप्त करेंगे, उन्हें स्पष्ट रूप से अधिसूचित दिशा-निर्देशों और मानक उपचार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा ताकि अनावश्यक उपचार की संभावना को लेकर जाँच की जा सके।

योजना की उपलब्धियाँ:

■ गरीबों के लिये फायदेमंद:

- कार्यान्वयन के पहले 200 दिनों में PMJAY ने 20.8 लाख से अधिक गरीब और वंचित लोगों को लाभान्वित किया है, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क इलाज मिला चुका है।

■ कोविड-19 के दौरान:

- शुरुआत से ही PMJAY की एक प्रमुख विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि प्रवासी श्रमिक देश में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं, भले ही उनके निवास की स्थिति कुछ भी हो।

आगे की राह

- भारत के अपने **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC)** के लक्ष्यों को पूरा करने में ABPMJAY कार्यक्रम बड़े स्तर पर महत्त्वाकांक्षी प्रणालीगत सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है।
 - इसके लिये लंबे समय से कम वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों को शामिल करने की आवश्यकता होगी, यद्यपि यह योजना भारत को UHC की ओर नरितर गति प्रदान करने के लिये है, अतः इसके साथ शासन, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन के परस्पर संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
 - भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय वैश्विक स्तर पर सबसे कम है।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के उचित उपयोग से स्वास्थ्य सेवा की समग्र लागत को और कम किया जा सकता है। एआई-पावरड मोबाइल एप्लीकेशन (AI-Powered Mobile Applications) उच्च गुणवत्तापूर्ण, कम लागत, स्मार्ट वेबनेस समाधान प्रदान कर सकते हैं। आयुष्मान भारत हेतु स्केलेबल (Scalable) और इंटर-ऑपरेबल (Inter-Operable) आईटी प्लेटफॉर्म इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

ई-अपशषिट प्रबंधन के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना

परलिमिस के लिये:

ई-अपशषिट, एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक, ईपीआर।

मेन्स के लिये:

ई-अपशषिट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 के लिये मसौदा अधिसूचना।

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के ड्राफ्ट पर जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिये एक अधिसूचना जारी की है।

- भारत में **इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट प्रबंधन** के लिये औपचारिक नियमों की एक सूची वदियमान है, इन नियमों की घोषणा पहली बार वर्ष 2016 में की गई और वर्ष 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। ई-अपशषिट प्रबंधन ड्राफ्ट के नवीनतम नियमों के अगस्त 2022 तक लागू होने की उम्मीद है।
- इससे पहले मंत्रालय ने **प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021** को अधिसूचित किया था। इसमें वर्ष 2022 तक वशिषिट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को पूरी तरह प्रतबंधित करने का प्रावधान किया गया है, जिनकी **"कम उपयोगिता और उच्च अपशषिट क्षमता"** है।

इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट प्रबंधन के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना:

- इलेक्ट्रॉनिक वस्तु:** अधिसूचना में लैपटॉप, लैडलाइन और मोबाइल फोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और चकितिसा उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक वसितुत शृंखला नरिदषिट की गई है।
- ई-अपशषिट संग्रह लक्ष्य:** उपभोक्ता वस्तुओं का नरिमाण करने वाली कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के नरिमाताओं को यह सुनश्चिति करना होगा कि वर्ष 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक अपशषिट के कम-से-कम 60% को एकत्र किया जाए और इस लक्ष्य को वर्ष 2024 तथा वर्ष 2025 में क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाए।
 - कंपनियों को एक **ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण** कराना होगा और अपने वार्षिक उत्पादन और ई-अपशषिट संग्रह लक्ष्य को नरिदषिट करना होगा।
- EPR प्रमाणपत्र:** नियम कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाणपत्रों में व्यापार की एक प्रणाली को लागू करते हैं, जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमी को पूरा करने की अनुमति देगा।
 - नियम **वसितारति नरिमाता उत्तरदायित्व (EPR)** प्रमाणपत्र हासलि करने वाली कंपनियों की एक ढाँचागत प्रणाली तैयार करते हैं।
 - ये प्रमाणपत्र कंपनी द्वारा एक वशिष वर्ष में एकत्र और पुनर्रचरति कयि गए ई-कचरे की मात्रा को प्रमाणित करते हैं तथा एक संगठन अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिये किसी अन्य कंपनी को इसकी अधशिष मात्रा को बेच सकता है।
- चक्रीय अरथव्यवस्था पर फोकस:** नए EPR नियम, पुनर्रचरण और व्यापार पर जोर देते हैं।
 - यह **चक्रीय अरथव्यवस्था** को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य का अनुसरण करता है।
- जुरमाना:** जो कंपनियों अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें **जुरमाना या 'पर्यावरण मुआवज़ा' देना होगा**, लेकिन मसौदा इस जुरमाने की मात्रा को नरिदषिट नहीं करता है।
- कार्यान्वयन प्राधिकरण:** **केंद्रीय प्रदूषण नरितरण बोर्ड (CPCB)** इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।
- राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी:** राज्य सरकारों को ई-कचरे को हटाने और पुनर्रचरण सुविधाओं के लिये औद्योगिक स्थान नरिधारति करने, औद्योगिक कौशल विकास करने तथा ई-कचरे के नरिकरण और पुनर्रचरण सुविधाओं में लगे शर्मकों हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनश्चिति करने की ज़िम्मेदारी सौपी गई है।

ई-अपशषिट के बारे में:

- परचिय:**
 - ई-अपशषिट **इलेक्ट्रॉनिक-अपशषिट का संक्षपित** नाम है और यह पुराने, अपरचलति, या छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदरभति करता है। इसमें उनके हसिसे, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल हैं।
 - भारत में **ई-अपशषिट के प्रबंधन के लिये कानून 2011** से लागू है। यह अनवारिय करते हुए कि केवल अधिकृत **वधितनकर्त्ता और पुनर्रचरणकर्त्ता ही ई-अपशषिट एकत्र करेंगे**। ई-अपशषिट (प्रबंधन) नियम, 2016 को वर्ष 2017 में अधनियमति किया गया था।
 - घरेलू और वाणज्यिक इकाइयों से कचरे को अलग करने, प्रसंस्करण तथा नपिटान के लिये भारत का पहला **ई-अपशषिट कलनिक** भोपाल,

मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

- मूल रूप से **बेसल अभिसमय (1992)** में ई-अपशष्टि का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन बाद में इसने वर्ष 2006 (COP8) में ई-कचरे के मुद्दों को शामिल किया।
 - नैरोबी घोषणा को खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के COP9 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ई-अपशष्टि के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिये अभिनव समाधान तैयार करना है।
- **भारत में ई-अपशष्टि के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ:**
 - **लोगों की कम भागीदारी:**
 - इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशष्टि का पुनर्चक्रण नहीं होने का एक प्रमुख कारण यह था कि उपभोक्ताओं ने उन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया।
 - हालाँकि हाल के वर्षों में विश्व भर के देश प्रभावी '**मरम्मत के अधिकार (Right to Repair)**' कानूनों को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं।
 - **बाल श्रम की भागीदारी:**
 - **भारत में 10-14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक** विभिन्न ई-अपशष्टि गतिविधियों में लगे हुए हैं और वह भी विभिन्न यार्डों व पुनर्चक्रण कार्यशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बिना।
 - **अप्रभावी विधान:**
 - अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)/PCC वेबसाइटों पर सार्वजनिक सूचना का अभाव है।
 - **स्वास्थ्य संबंधी खतरा:**
 - ई-कचरे में 1,000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जो मट्टी और भूजल को दूषित करते हैं।
 - **प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव:**
 - असंगठित क्षेत्र के लिये ई-कचरे के निपटान हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।
 - साथ ही ई-कचरे को प्रबंधित करने के लिये औपचारिक कदम उठाने हेतु इस कार्य में लगे लोगों को लुभाने के लिये भी किसी प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं किया गया है।
 - **ई-कचरा आयात:**
 - विकसित देशों द्वारा 80% ई-कचरा रीसाइकलिंग के लिये भारत, चीन, घाना और नाइजीरिया जैसे विकसशील देशों को भेजा जाता है।
 - **शामिल अधिकारियों की अनिच्छा:**
 - नगरपालिकाओं की गैर-भागीदारी सहित ई-अपशष्टि प्रबंधन और निपटान के लिये ज़िम्मेदार विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय का अभाव।
 - **सुरक्षा के नहितार्थ:**
 - कंप्यूटरों में अक्सर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते के विवरण आदि होते हैं, इस प्रकार की जानकरियों को रमिूव न किये जाने की स्थिति में धोखाधड़ी की संभावना रहती है।

आगे की राह

- भारत में कई स्टार्टअप और कंपनियों द्वारा अब इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करने के साथ ही रीसाइकलिंग का कार्य शुरू किया गया है। हमें ऐसे बेहतर कार्यान्वयन पद्धतियों एवं समावेशन नीतियों की आवश्यकता है जो अनौपचारिक क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिये आवास व मान्यता प्रदान करें तथा पर्यावरण की दृष्टि से रीसाइकलिंग लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें।
- साथ ही संग्रह दर को सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिये उपभोक्ताओं सहित प्रत्येक भागीदार को शामिल करना आवश्यक है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत/अव्यवस्थित निपटान के कारण नमिनलिखित में से कौन-से ई-अपशष्टि के रूप में पर्यावरण में नरिमुक्त होते हैं?

- 1- बेरलियम
- 2- कैडमियम
- 3- क्रोमियम
- 4- हेप्टाक्लोर
- 5- पारद
- 6- सीसा
- 7- प्लूटोनियम

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
- (b) केवल 1, 2, 3, 5 और 6
- (c) केवल 2, 4, 5 और 7
- (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जहरीले रसायन- सीसा, कैडमियम, मरकरी, बेरिलियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रटिस्टेंट्स (बीएफआर), पॉलीविनाइल क्लोराइड और फास्फोरस यौगिक होते हैं। इनके अनुचित संचालन और दहन से हाइड्रोकार्बन मुक्त होता है जो जल नकियों को प्रदूषित करता है।
- सर्किट बोर्ड में पाए जाने वाली धातुएँ कैडमियम, एंटीमनी, सीसा/लेड और क्रोमियम हैं। कई फोटोकॉपियर, स्कैनर तथा फैक्स मशीनों के स्विच एवं लैप में पारा मौजूद होता है। मॉनिटर में लेड भी पाया जा सकता है। अतः 2, 3, 5 और 6 सही हैं।
- कॉपर बेरिलियम मशीन धातु का उपयोग "सुपरगि मेमोरी" प्रदान करने के लिये किया जाता है जो नरितर, अबाधति वदियुत कनेक्शन सुनिश्चित करता है, जिसका अर्थ है उच्च प्रसंस्करण गति व व्यक्तगित कंप्यूटर, राउटर तथा इंटरनेट के साथ-साथ रडार, एवियोनिक्स और रक्षा प्रणाली के लिये बेहतर प्रदर्शन। अतः 1 सही है।
- प्लूटोनियम एक्टिनाइड परिवार का एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील सथितिक तत्त्व है जो यूरेनियम अयस्कों में उपस्थित होता है और परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने की क्षमता के कारण इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है।
- प्लूटोनियम के लगभग 15 समस्थानिक मौजूद हैं और ये सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर या उनके पुर्जों में नहीं किया जाता है। अतः 7 सही नहीं है।
- हेप्टाक्लोर एक ऑर्गेनोक्लोरिन (साइक्लोडीन) कीटनाशक है जिसे पहली बार वर्ष 1946 में तकनीकी क्लोरडन से अलग किया गया था और इसका उपयोग मुख्य रूप से कसिनों द्वारा बीज अनाज तथा फसलों पर कीटों को मारने के लिये किया जाता था, साथ ही घर के मालिकों द्वारा इसका उपयोग दीमक को मारने/भगाने के लिये भी किया जाता था। अतः 4 सही नहीं है।

स्रोत: द हट्टू

एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के अधिकार

प्रलिमिंस के लिये:

ILO, संयुक्त राष्ट्र, आईपीसी, मौलिक अधिकार, IPC

मेन्स के लिये:

ट्रांसजेंडर से संबंधित मुद्दे, सामाजिक सशक्तीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन \(ILO\)](#) ने 'वर्ल्ड ऑफ वर्क' में एलजीबीटीआईक्यू+ (LGBTIQ+) व्यक्तियों को शामिल करने के लिये एक दस्तावेज़ जारी किया। यह कार्य प्राप्त करने के अधिकार पर LGBTIQ+ व्यक्तियों के लिये समान अवसर और उपचार सुनिश्चित करने हेतु कुछ सफ़ारिशें प्रदान करता है।

- LGBTIQ का मतलब **लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटर-सेक्स और क्वीर** है।
- प्लस साइन विधि SOGIESC लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ संदर्भों में विशेष आबादी को संदर्भित करने के लिये एलजीबी, एलजीबीटी या एलजीबीटीआई शब्द का उपयोग किया जाता है।
 - SOGIESC शब्द यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं को संदर्भित करता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिये सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है।
 - वर्ष 1969 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया।
- मुख्यालय:** जनिवा, स्वट्ज़रलैंड

अनुशासनाँ:

■ राष्ट्रीय नीति और श्रम कानून की समीक्षा:

- राष्ट्रीय नीति और श्रम कानून की समीक्षा सरकारों को एलजीबीटीआईक्यू+ व्यक्तियों के लिये अपने देश की कार्य नीति के माहौल का आकलन करने की अनुमति देगी।
- यह कानूनी और नीतित्म माहौल में सुधार, भेदभाव और बहिष्कार को समाप्त करने, साथ ही अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के अनुपालन के लिये उचित पहलों की पहचान करने की अनुमति देगा।
 - LGBTIQ+ लोगों को उनके यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं के कारण विश्व भर में उत्पीड़न, हिसा तथा भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
 - भेदभाव न केवल LGBTIQ+ व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के लिये बल्कि उद्यमों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिये भी हानिकारक है।

■ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम:

- इसने सदस्य देशों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को समाज में LGBTIQ+ व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने की सफारिश की।

■ परामर्श की सुविधा:

- नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के साथ सामाजिक संवाद के अलावा LGBTIQ+ समुदायों के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक है।
 - यह LGBTIQ+ व्यक्तियों को श्रम बाजार में प्रवेश करने और सामाजिक सुरक्षा सहित सरकारी योजनाओं तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने की अनुमति देगा।

■ लघु और मध्यम उद्योग संघों के साथ कार्य:

- लघु और यौन पहचान जैसे भेदभाव एवं कलंक को दूर करने के लिये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकारों को छोटे एवं मध्यम क्षेत्र के संघों, क्षेत्रीय संघों तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले श्रमिक संघों के साथ काम करने के लिये प्रोत्साहित किया।

■ कार्यस्थल पर यौन भेदभाव का अंत:

- कार्यस्थल में यौन भेदभाव को समाप्त करने एवं LGBTIQ+ को कार्यस्थल में शामिल करने के लिये नियोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
 - अध्ययनों के अनुसार, LGBTIQ+ व्यक्तियों सहित कार्यस्थल में विविधता का होना व्यवसायों के लिये बेहतर हो सकता है।
 - यह एक रचनात्मक वातावरण का संकेत देता है जो आर्थिक विकास के लिये सही परिस्थितियों का निर्माण करता है।
 - नियोक्ता संगठन अपने सदस्यों को नीतित्म मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, पक्षपोषण कर सकते हैं तथा कार्यस्थलों में LGBTIQ+ व्यक्तियों को शामिल करके जागरूकता बढ़ा सकते हैं, सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाज़ी को बढ़ावा दे सकते हैं एवं सदस्यों के बीच अच्छी प्रथाओं को सीखने व साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

■ संगठन की स्वतंत्रता के अधिकार को व्यवस्थित और प्रयोग करना:

- ILO ने यूनियनों से LGBTIQ+ श्रमिकों को संगठित करने तथा उनके संघ की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में मदद करने के लिये कहा है।
 - श्रमिक संघ यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि LGBTIQ+ श्रमिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का प्रतिनिधित्व नियोक्ताओं के साथ सामूहिक सौदेबाज़ी समझौतों और कार्यस्थल पर नीतियों तथा अन्य उपकरणों के रूप में किया जाए।
 - कई LGBTIQ+ कार्यकर्ता, विशेष रूप से छोटे कार्यस्थलों में अपने LGBTIQ+ साथियों या सहयोगियों के बिना अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।

भारत में LGBTIQ+ समुदाय की स्थिति:

- **राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का मुद्दा है।
- **नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ (2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के कुछ हिस्सों को हटाकर **समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर** कर दिया, जिन्हें LGBTIQ समुदाय के **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन माना जाता था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **संवैधानिक अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता** की गारंटी देता है जो LGBTIQ समुदाय की 'समावेशिता' को साकार करते हुए नागरिकों के सभी वर्गों पर लागू होता है।
 - इसने भारत में **संवैधानिक नैतिकता** की श्रेष्ठता को यह मानते हुए भी बरकरार रखा कि कानून के समक्ष समानता को सार्वजनिक या धार्मिक नैतिकता को वरीयता देकर नकारा नहीं जा सकता।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, **यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून के आवेदन पर योग्याकारता सिद्धांत** को भारतीय कानून के एक भाग के रूप में लागू किया जाना चाहिये।
 - 'योग्याकारता सिद्धांत' मानव अधिकारों के हिस्से के रूप में यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं।
 - इन्हें वर्ष 2006 में इंडोनेशिया के योग्याकारता में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञों के विशिष्ट समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- **समलैंगिक विवाह पर विवाद: शफीन जहान बनाम असोकन के.एम. और अन्य (2018)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि साथी का चुनाव करना एक व्यक्तिका मौलिक अधिकार है, जो समलैंगिक जोड़ों पर भी लागू हो सकता है।
 - हालाँकि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का वरीयता देते हुए कहा कि भारत में एक विवाह को तभी मान्यता दी जा सकती है जब वह "जैविक पुरुष" और बच्चे पैदा करने में सक्षम "जैविक महिला" के बीच हो।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019:** संसद द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया गया, जिसमें लिंग पहचान जैसी संकीर्ण सोच की आलोचना की गई।

पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता

प्रलिस के लयल:

सरवोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 21

मेन्स के लयल:

एक पेशे के रूप में सेक्स वर्क की मान्यता, सेक्स वर्कर के अधिकार, सरकारी नीतयल और हस्तक्षेप

चर्चा में कयल?

हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण आदेश में [सरवोच्च न्यायालय](#) ने सेक्स वर्क को एक "पेशे" के रूप में मान्यता दी है और कहा क इसके व्यवसायी कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हल ।

- न्यायालय ने [संवधान के अनुच्छेद 142](#) के तहत अपनी वशेष शक्तयल का इस्तेमाल कयल । अनुच्छेद 142 सरवोच्च न्यायालय को वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है, इसमें कहा गया है क सरवोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डकरी पारत कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबत कसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लयल आवश्यक हो ।
- [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) ने वर्ष 2020 में सेक्स वर्कर को अनौपचारिक श्रमक के रूप में मान्यता दी ।

सरवोच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य वशेषताएँ:

- आपराधिक कानून:**
 - सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षण के हकदार हल और आपराधिक कानून सभी मामलों में 'आयु' और 'सहमत' के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहयल ।
 - जब यह स्पष्ट हो जाए क सेक्स वर्कर वयस्क है और सहमत से भाग ले रहा है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहयल ।
 - [अनुच्छेद 21](#) घोषत करता है क कानून द्वारा स्थापत प्रक्रय के अनुसार, कसी भी वयक्त को उसके जीवन या वयक्तगत स्वतंत्रता से वंचत नहीं कयल जाएगा । यह अधिकार नागरक और गैर-नागरक दोनों को प्राप्त है ।
 - जब भी कसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है तो सेक्स वर्कर को "गरिफ्तार या डंडत या परेशान या पीडत" नहीं कयल जाना चाहयल, "चूँक सवैच्छक सेक्स वर्क अवैध नहीं है, जबक वेश्यालय चलाना गैर-कानूनी है" ।
- एक यौनकर्मी के बच्चे के अधिकार:**
 - एक यौनकर्मी के बच्चे को सरिफ इस आधार पर माँ से अलग नहीं कयल जाना चाहयल क वह देह व्यापार में संलपत है ।
 - मानव शालीनता और गरमी की बुनयदी सुरक्षा यौनकर्मयल और उनके बच्चों को भी प्राप्त है ।
 - इसके अलावा यद कोई नाबालग वेश्यालय में या यौनकर्मयल के साथ रहता पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहयल क बच्चे की तस्करी की गई ।
 - यद यौनकर्मी का दावा है क वह उसका बेटा/बेटी है तो यह नरिधारत करने के लयल परीक्षण कयल जा सकता है क कयल दावा सही है और यद ऐसा है, तो नाबालग को जबरन अलग नहीं कयल जाना चाहयल ।
- स्वास्थ्य देखभाल:**
 - यौन उत्पीडन की शकार यौनकर्मयल को तत्काल चकित्सा-कानूनी देखभाल सहत हर प्रकार की सुवधा प्रदान की जानी चाहयल ।
- मीडयल की भूमक:**
 - मीडयल को इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना चाहयल क गरिफ्तारी, छापे और बचाव कारयल के दौरान यौनकर्मयल की पहचान प्रकट न हो, चाहे वह पीडत हल या आरोपी और ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशत या प्रसारत न करेँ जससे उसकी पहचान का खुलासा हो ।

संबंधत प्रावधान/सरवोच्च न्यायालय के वचार:

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधनयम:**
 - भारत में यौन कारय को नयंत्रत करने वाला कानून अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधनयम है ।
 - महलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार का दमन अधनयम वर्ष 1956 में अधनयमत कयल गया था ।
 - बाद में कानून में संशोधन कयल गए और अधनयम का नाम बदलकर अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधनयम कर दयल गया ।

- कानून वेश्यालय चलाने, सार्वजनिक स्थान पर याचना करने, सेक्स वर्क की कमाई से जीने और एक सेक्स वर्कर के साथ रहने या आदतन रहने जैसे कृत्यों को दंडित करता है।
- **न्यायमूर्त विरमा आयोग (2012-13):**
 - न्यायमूर्त विरमा आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि व्यावसायिक यौन शोषण के लिये तस्करी की जाने वाली महिलाओं और वयस्क, सहमति देने वाली महिलाओं के बीच अंतर है जो अपनी इच्छा से यौन कार्य में हैं।
- **बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामला:**
 - उच्चतम न्यायालय ने बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) मामले में कहा कि यौनकर्मियों को सम्मान का अधिकार है।

यौनकर्मियों के समक्ष चुनौतियाँ:

- **भेदभाव और दोषारोपण:**
 - यौनकर्मियों के अधिकार अस्तित्वहीन हैं और ऐसा काम करने वालों को उनकी आपराधिक स्थिति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
 - इन लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा समाज में इनका कोई स्थान नहीं होता है और अधिकांशतः ज़मींदारों एवं यहाँ तक कि कानून द्वारा भी इनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है।
 - दूसरों के समान मानव, स्वास्थ्य और श्रम अधिकार दिये जाने की मांग के लिये उनकी लड़ाई जारी है क्योंकि उन्हें अन्य श्रमिकों के समान श्रेणी में नहीं माना जाता है।
- **दुरव्यवहार और शोषण:**
 - कई बार यौनकर्मियों को कई तरह की गालियों का सामना करना पड़ता है जो शारीरिक से लेकर मानसिक हमलों तक होती हैं।
 - उन्हें ग्राहकों, उनके अपने परिवार के सदस्यों, समुदाय और यहाँ तक कि उन लोगों से भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जिन्हें कानून का पालन करना चाहिये।

आगे की राह

- सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देने और इसे नैतिक स्वरूप प्रदान करने का समय आ गया है।
 - सेक्स वर्क के अंतर्गत वयस्क पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन सेवाएँ प्रदान कर आजीविका चलाने, गरमिपूर्ण जीवन व्यतीत करने एवं हिंसा, शोषण, सामाजिक कलंक व भेदभाव से मुक्ति का अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।
- अब समय आ गया है कि हम **श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर पुनर्विचार करें**, जहाँ हम उनके काम को पहचान प्रदान कर उन्हें बुनियादी श्रम अधिकारों की गारंटी भी उपलब्ध कराएँ।
- संसद को मौजूदा कानून पर फेरि से विचार करना चाहिये और **'पीड़ित-बचाव-पुनर्वास'** की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये।
 - संकट के इस समय में विशेष रूप से यह और भी महत्वपूर्ण है।

स्रोत: द हट्टि

भारत-कनाडा वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

प्रलिस के लिये:

भारत-कनाडा संबंध।

मेन्स के लिये:

द्विपक्षीय समूह और समझौते।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 7वीं भारत-कनाडा संयुक्त वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (JSTCC) की बैठक में दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) का नवीनीकरण किया गया।

- वर्ष 2005 के वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते के तहत **भारतीय वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कनाडा के प्राकृतिक वजिज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद (NSERC) तथा राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद कनाडा (NRC) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर**

किये थे।

- इससे पहले भारत और कनाडा ने व्यापार एवं नविश (MDTI) पर पाँचवीं मंत्रसितरीय वार्ता आयोजित की, जिसमें मंत्रियों ने औपचारिक रूप से **भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA)** के लिये वार्ता को फरि से शुरू करने और एक अंतरिम समझौते या **प्रारंभिक प्रगतव्यापार समझौते (EPTA)** पर वचिार करने पर सहमत वियक्त की, जो दोनों देशों को वाणजियकि लाभ प्रदान कर सकता है।



बैठक की मुख्य वशिषताएँ:

- सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय मशिन, **क्वांटम कंप्यूटिगि**, **कृत्रिम बुद्धिमितता (AI)** और **साइबर-फज्जिकल प्रणाली** शामिल हैं।
 - कनाडा के वशिषवदियालयों में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में भारतीय छात्र इस सहयोग से लाभान्वति होंगे।
- भारत और कनाडा मज़बूत द्वपिक्षीय संबंधों से लाभान्वति होते हैं तथा संबंधों को और मज़बूत करने के लिये प्रतबिद्ध **हैज्रजिज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दोनों देशों के मध्य स्थापति संबंधों के प्रमुख सतंभ** हैं।
- वर्ष 2005 में किये गए समझौते की शर्तों के तहत कनाडा और भारत के शोधकर्त्ताओं एवं नवोनमेषकों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा करने के लिये प्रत्येक 2 साल में बैठक आयोजित की जाती है और कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थय वजिज्ञान तथा संबंधित प्रौद्योगिकीयों, स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों व पर्यावरण अनुसंधान, समुद्री एवं ध्रुवीय अनुसंधान, क्वांटम और आर्टफिशियल इंटेलिजेंस तथा मानव क्षमता वकिकास व रसिर्च मॉबिलिटी जैसे वभिनिन नए क्षेत्रों में अगली अवधि के लिये प्राथमकिताएँ नरिधारति की जाती हैं।
- दोनों देश वर्ष 2022-2024 के लिये द्वपिक्षीय वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) सहयोग को लेकर मुख्य प्राथमकिताओं की प्रगतिकी नगिरानी ज़ारी रखने पर सहमत हुए।
- भारत अन्य देशों के साथ अकादमकि और वैज्ज्ञानकि संबंधों को सुगम बनाकर वैश्वकि प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं वकिकास पारसिथतिकी तंत्र में सक्रिय भूमकिा नभिताता है।

वभिनिन क्षेत्रों में भारत-कनाडा सहयोग:

- **राजनीतिक:**
 - भारत और कनाडा संसदीय ढाँचे एवं प्रक्रियाओं में समानताएँ साझा करते हैं। अक्टूबर 2019 में आम चुनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन के सांसद राज सैनी को कनाडा-भारत संसदीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - वर्ष 2020 तक कनाडाई संसद में हाउस ऑफ कॉमन (कुल संख्या 338) में भारतीय मूल के 22 सदस्य हैं।
 - भारत में कनाडा का प्रतनिधित्व नई दलिली में कनाडा के उच्चायोग द्वारा किया जाता है। कनाडा के बंगलूरु, चंडीगढ़ और मुंबई में महावाणजिय दूतावास हैं, साथ ही अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता में व्यापार कार्यालय भी हैं
 - कनाडा में भारत का प्रतनिधित्व ओटावा में एक उच्चायोग और टोरंटो तथा वैकूवर में वाणजिय दूतावासों द्वारा किया जाता है।
- **आर्थिक:**
 - भारत और कनाडा के बीच द्वपिक्षीय व्यापार **5 अरब अमेरिकी डॉलर** का है।
 - भारत में 400 से अधिक कनाडाई कंपनियों की उपस्थिति है और 1,000 से अधिक कंपनियों भारतीय बाज़ार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं।
 - कनाडा में भारतीय कंपनियों **सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, स्टील, प्राकृतिक संसाधन और बैंकिगि क्षेत्रों** में सक्रिय हैं।
 - कनाडा को भारत फार्मा, लोहा एवं इस्पात, रसायन, रत्न एवं गहने, परमाणु ररिक्टर और बाँयलर नरियात करता है।
 - चूँकि कनाडा ऊर्जा महाशक्ति है जिसके पास यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनजि, और उन्नत जलवदियुत प्रौद्योगिकी, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जैसे वशिष के बड़े संसाधन हैं, इसलिये भारत कनाडा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र को प्राथमकिता प्रदान करता है।
- **वजिज्ञान और तकनीक:**

- **IC-IMPACTS** कार्यक्रम के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग स्वास्थ्य देखभाल, कृषि-बायोटेक और अपशिष्ट प्रबंधन में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को लागू करता है।
 - **IC-IMPACTS** (भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी) पहला और एकमात्र, कनाडा-इंडिया रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसे कनाडा के नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (NCE) के माध्यम से समर्थन के रूप में स्थापित किया गया है। इससे कनाडा और भारत के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा मल्लिगा।
- पृथ्वी विज्ञान विभाग और ध्रुवीय कनाडा ने **शीत जलवायु (आर्कटिक) अध्ययन पर ज्ञान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान** के आदान-प्रदान के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- **अंतरिक्ष:**
 - भारत और कनाडा 1990 के दशक से मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह परिक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष मशिनों हेतु ज़मीनी समर्थन प्रदान कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफल सहकारी व वाणज्यिक संबंधों का अनुसरण कर रहे हैं।
 - **इसरो** और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाहरी अंतरिक्ष की खोज एवं उपयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - ISRO की वाणज्यिक शाखा **एंट्रकिस** की सहायता से कनाडा के कई नैनो उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है।
 - इसरो ने वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए अपने 100वें सैटेलाइट **पीएसएलवी** में श्रीहरिकोटा से कनाडा का पहला LEO (लो अर्थ ऑर्बिट) सैटेलाइट भी लॉन्च किया।
- **रक्षा क्षेत्र:**
 - भारत और कनाडा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और जी-20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
 - वर्ष 2015 में डीआरडीओ और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये गए।
 - वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार द्वारा आतंकवाद तथा हसिक चरमपंथ का मुकाबला करने हेतु भारत व कनाडा के बीच सहयोग ढाँचे के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिये एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।
 - आतंकवाद के मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने पर संयुक्त कार्य समूह के ढाँचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी की गई है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/26-05-2022/print>

